17वीं लोकसभा के प्रथम वर्ष की उपलब्धियाँ

Achievements Of 1st Year Of 17th Lok Sabha

भारतीय संसद

PARLIAMENT OF INDIA

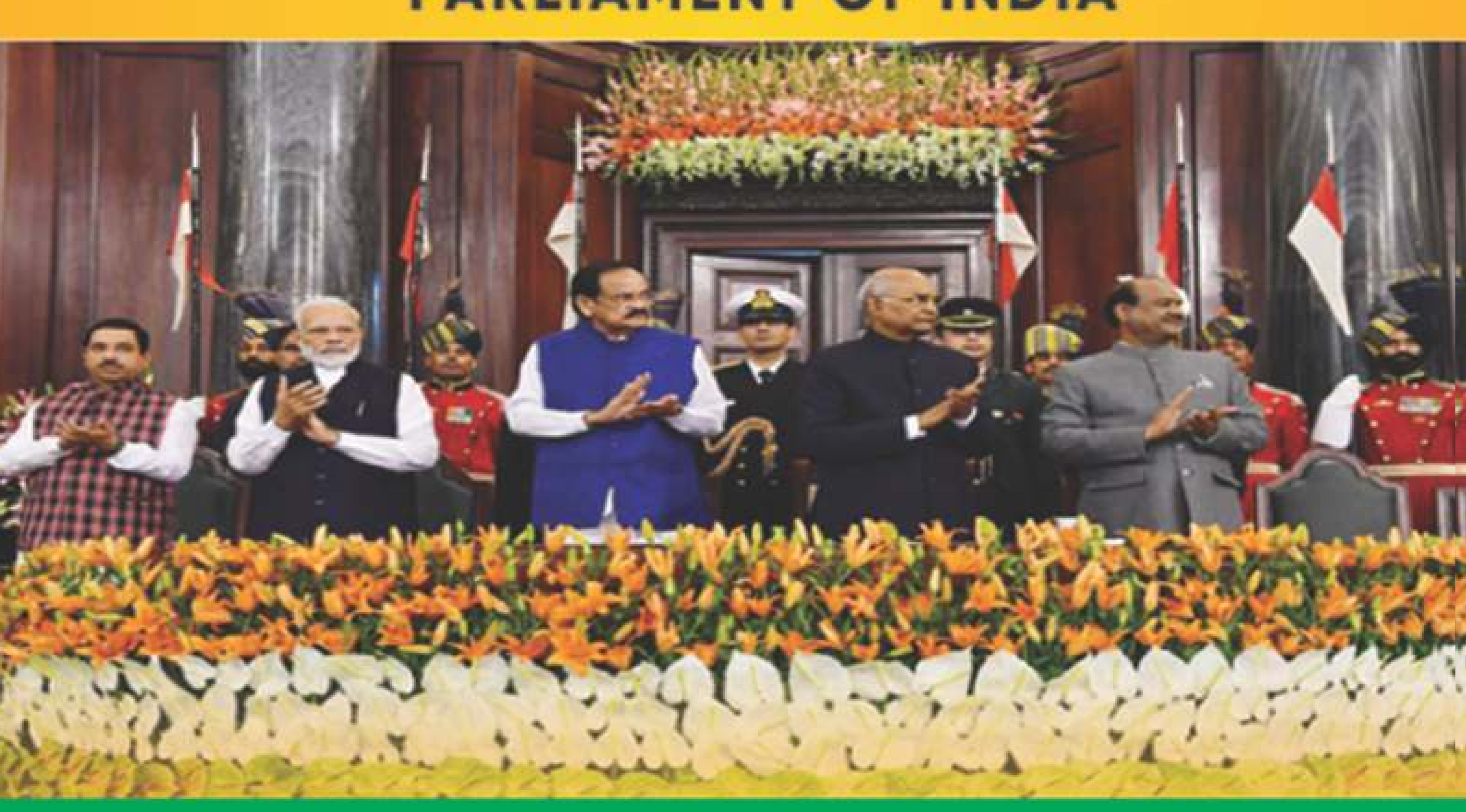

आमुख

भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा कार्यशील लोकतंत्र है। हमारे देश में बहुलतावादी संस्कृति की पहचान एवं लोकतांत्रिक परंपराओं और सिद्धान्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। यही कारण है कि पिछली सदी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। संसद हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का सबसे पावन मंदिर है। यह महान संस्था राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए हमारे विविध हितों के बीच सामंजस्य, संश्लेषण और समन्वय स्थापित करती है। आवधिक आम चुनावों के माध्यम से नागरिक हमारी पावन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और उसकी आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंबन निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। इस प्रकार हमारा लोकतंत्र सक्रिय और जीवंत बना रहता है। संसद के लिए निर्वाचित होने के पश्चात् जनप्रतिनिधियों से जनता के कल्याण और राष्ट्रहित में विधि निर्माण के कार्य में संलग्न रहने की अपेक्षा की जाती है। वास्तव में हमारी जीवंत लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का विश्वास, लोक सभा की कार्यवाही के कुशल संचालन पर निर्भर करता है। सभा की अध्यक्षपीठ और सदस्यों के सामूहिक प्रयासों से जनहित के मुद्दों को आवाज मिलती है। माननीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में लोक सभा विकास और जन कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के राष्ट्रीय प्रयासों के केन्द्र के रूप में काम कर रही है।

वर्तमान 17वीं लोक सभा का गठन 25 मई 2019 को हुआ था। नई लोक सभा की पहली बैठक 17 जून 2019 को हुई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2019 को लोक सभा के नए अध्यक्ष के रूप में श्री ओम बिरला के चुनाव के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका श्री राजनाथ सिंह द्वारा समर्थन किया गया। इस प्रस्ताव को सदन में सभी दलों ने सर्वसम्मति से स्वीकृत किया और श्री ओम बिरला को 17वीं लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।

पिछले एक साल में 17वीं लोक सभा ने कई विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं और देश के लोगों के सपनों व आकांक्षाओं को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा निर्धारित अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिकांश रूप से अपनी भूमिका में सफल रही है। चाहे विधायी व प्रशासनिक कार्य हो, या फिर वित्तीय सुधार, अथवा समिति संबंधी नवाचार हो, हर क्षेत्र में 17वीं लोक सभा ने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। माननीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में गत वर्ष कई ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे कि स्वच्छता अभियान, योग शिविर, फिट इंडिया मिशन, गांधी जी की 150वीं जयंती समारोह, वृक्षारोपण कार्यक्रम, संसद में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण तथा संविधान दिवस की 70वीं वर्षगांठ समारोह। इन कार्यक्रमों से लोक सभा का देश के जनमानस से अधिकाधिक जुड़ाव हुआ है।

संसद सबकी है और सभी पक्षों के योगदान एवं सहयोग से ही उपलब्धि हासिल होती है। इसके लिये समस्त पार्टी एवं उनके लीडर्स, पैनल चेयरपर्सन्स, संसदीय कार्य मंत्रीगण, सदन के उपनेता रक्षा मंत्री एवं सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के अभूतपूर्व सहयोग के लिये हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्रालय, सीपीडब्ल्यूडी, लोक सभा टीवी, लोक सभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उनके परिश्रम एवं योगदान के लिये धन्यवाद के पात्र हैं।

आशा है कि यह पुस्तिका लोक सभा के कामकाज को समझने में सांसदों, शोधकर्ताओं, विद्वानों और अन्य इच्छुक पाठकों के लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक होगी।

नई दिल्ली
16 जून 2020

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव, लोक सभा

विषय-सूची

पृष्ठ

आमुख .... (i)

17वीं लोक सभा की मुख्य उपलब्धियां

I. सदन के कामकाज से संबंधित पहल 1

II. सदन के कामकाज में सुधार 5

III. समिति प्रणाली का सुदृढ़ीकरण 6

IV. माननीय संसद सदस्यों के लिए प्रदत्त सुविधाएं 6

V. क्षमता निर्माण संबंधी पहल 8

VI. अन्य संसदीय कार्यक्रम और नवाचार 9

VII. लोक सभा सचिवालय में मितव्ययिता 10

VIII. संसद भवन की नई इमारत का प्रस्ताव 11

IX. राज्य विधान मंडलों से संवाद 11

X. संसदीय राजनय को सुदृढ़ बनाना 14

XI. प्रशासनिक पहल 15

XII. संसद ग्रंथालय 15

XIII. डिजिटाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन 15

XIV. लोक सभा टेलीविजन 16

XV. अन्य पहलें 17

उपसंहार 17

17वीं लोक सभा की मुख्य उपलब्धियां

लोक सभा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुना हुआ सदन है। इस सदन में निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के सरोकारों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदस्यों के उपयोग हेतु अनेक प्रक्रियात्मक साधन उपलब्ध हैं, जिनके विवेकपूर्ण प्रयोग से जन भावनाओं का अधिक प्रभावी ढंग से प्रकटीकरण किया जा सकता है। वास्तव में अध्यक्ष के मार्गदर्शन में लोक सभा विकास और जन कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के राष्ट्रीय प्रयासों का केन्द्र है।

माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला के गत एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान, सभा और समिति प्रणाली के कामकाज के साथ ही संसदीय कार्य के विभिन्न पहलुओं जैसे विधायी, वित्तीय, सदस्य सेवाओं, शोध, डिजिटलीकरण, आदि से संबंधित कार्य में अधिक दक्षता व पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई हैं। संसदीय कूटनीति के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना, पेपरलेस कार्यालय के लक्ष्य को प्राप्त करना, आदि कई अन्य दिशाओं में प्रयास किए गए हैं। कुछ मुख्य पहलें रेखांकित की गई हैं।

I. सदन के कामकाज से संबंधित पहल

17वीं लोक सभा का गठन 25 मई 2019 को हुआ था। तत्पश्चात् इसके पहले सत्र का आरंभ 17 जून 2019 को हुआ था। इस प्रकार वर्तमान लोक सभा के कार्यकाल का पहला वर्ष 17 जून 2020 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है। इस दौरान लोक सभा के तीन सत्र आयोजित हुए हैं।

1. 17वीं लोक सभा की कार्य उत्पादकता

17वीं लोक सभा का पहला सत्र, कार्य उत्पादकता की दृष्टि से एक ऐतिहासिक सत्र रहा। वर्ष 1952 के बाद किसी एक सत्र में इसमें सर्वाधिक कार्य हुआ और पिछले तीन दशकों में यह सबसे अधिक प्रभावी और उत्पादक सत्र रहा है। इस सत्र में कुल 37 बैठकें हुई जो 280 घंटों तक चलीं। पहले सत्र के दौरान व्यवधानों/स्थगन के कारण समय की कोई हानि नहीं हुई। पहले सत्र की कुल उत्पादकता 125 प्रतिशत थी जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे सत्र की कार्य उत्पादकता क्रमशः 115 प्रतिशत और 90 प्रतिशत रही।

17वीं लोक सभा के तीनों सत्रों की औसत उत्पादकता 110 प्रतिशत रही है जबकि 15वीं लोक सभा के तीनों सत्रों की औसत उत्पादकता 85 प्रतिशत एवं 16वीं लोक सभा में 89 प्रतिशत ही रही। इस दृष्टि से देखा जाए तो 17वीं लोक सभा की औसत उत्पादकता सबसे अधिक रही है।

15वीं, 16वीं और 17वीं लोक सभा के पहले तीन सत्रों में कार्य उत्पादकता का प्रतिशत

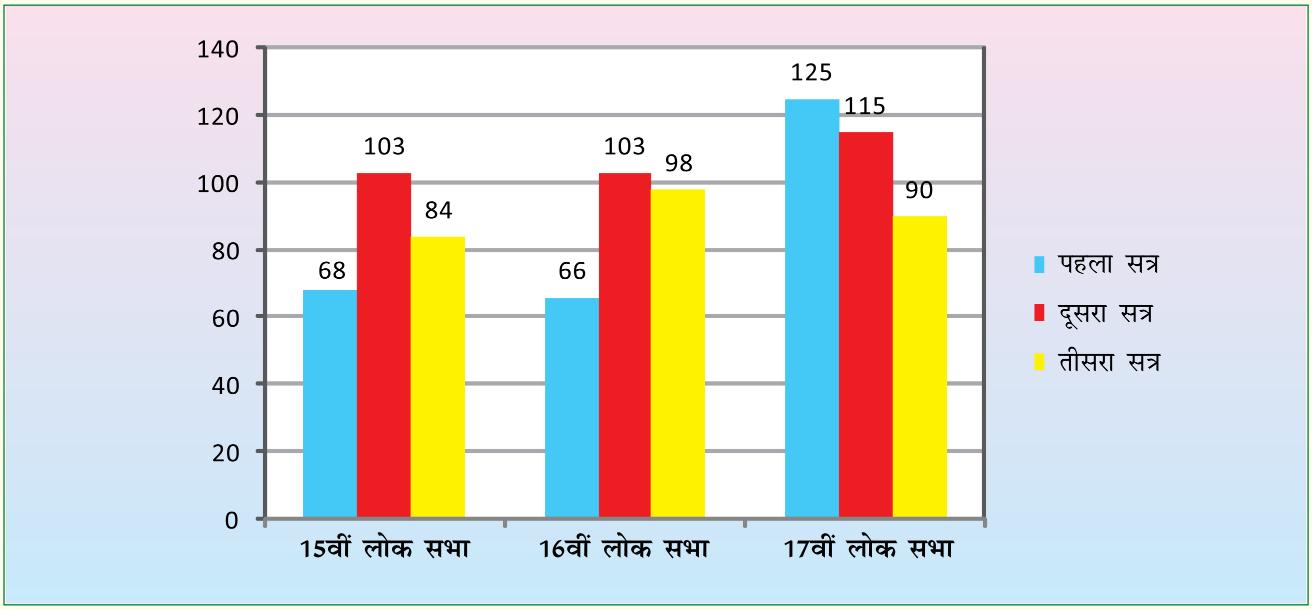

केवल पहला भाग			
लोक सभा	**पहला सत्र**	**दूसरा सत्र**	**तीसरा सत्र**
15वीं	68	103	84
16वीं	66	103	98
17वीं	125	115	90

2. प्रश्न काल को सशक्त और सुचारू बनाना

प्रश्न काल समसामयिक मुद्दों को उठाने और सरकार से उत्तर प्राप्त करने के लिए सदस्यों को उपलब्ध एक अत्यंत प्रभावी संसदीय साधन है। 17वीं लोक सभा के प्रथम सत्र में प्रश्न काल व्यवधानों से बचा रहा और माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रश्न काल के अंतर्गत उपलब्ध समय का पूरा सदुपयोग किया गया। औसत रूप से प्रतिदिन 7.62 प्रश्नों

10वीं से 17वीं लोक सभा के दौरान प्रतिदिन पूछे गए मौखिक प्रश्नों के उत्तर का औसत (प्रतिशत में)

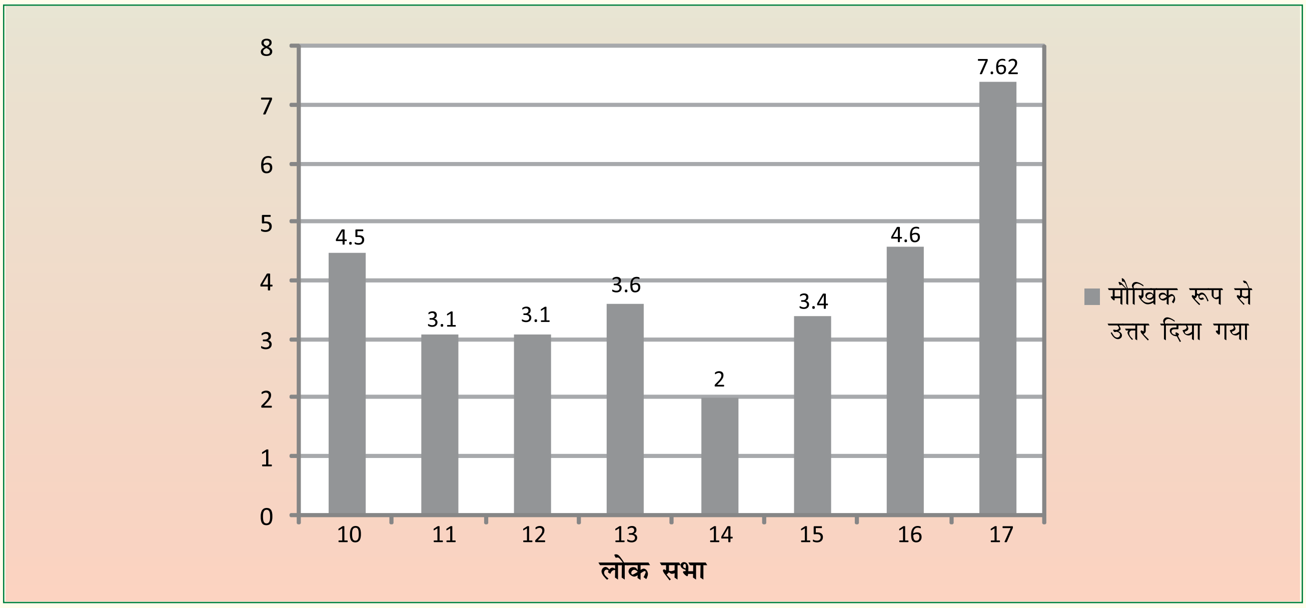

इसमें आंकड़े अंतर्विष्ट हैं:-
10वीं लोक सभा (पहला एवं दूसरा सत्र) के
11वीं से 16वीं लोक सभा (द्वितीय सत्र केवल) के, प्रथम सत्र में कोई प्रश्न काल नहीं हुआ।
17वीं लोक सभा का प्रथम सत्र केवल।

का उत्तर दिया गया। इसकी स्पष्ट रूप से तुलना 1996-2019 तक की अवधि के दौरान औसतन प्रतिदिन 3.79 प्रश्नों से की जा सकती है।

माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी की सबसे अहम प्राथमिकता रही है कि प्रश्न काल को सशक्त और सुचारू बनाया जाये और उसमें सदस्यों की वास्तविक भागीदारी बढ़ायी जाए। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सदन में अधिक-से-अधिक मौखिक प्रश्न पूछने का अवसर दिया और अधिक से अधिक सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का भी मौका दिया।

27 नवम्बर 2019 को 47 वर्षों के बाद (अर्थात् 1972 के बाद) पहली बार प्रश्न काल के दौरान सभी 20 तारांकित प्रश्नों को लिया गया। इस दौरान संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सम्बंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए।

17वीं लोक सभा के दौरान, प्राप्त प्रश्नों की ई-सूचनाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। 16वीं लोक सभा के दौरान यह संख्या 34.77% थी, जबकि यह 17वीं लोक सभा के दौरान 58% रही। इसको शत प्रतिशत करने का लक्ष्य है।

3. शून्य काल

शून्य काल में अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्व का मुद्दा उठाने का अवसर दिया जाना गत एक वर्ष की बड़ी उपलब्धि रही। इस दौरान 2436 मामले उठाए गए, जो अपने-आप में एक रिकॉर्ड है।

17वीं लोक सभा के पहले सत्र में माननीय अध्यक्ष ने शून्य काल के दौरान 1066 मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की। यह लोक सभा के इतिहास में एक सत्र में सबसे अधिक संख्या है। उसी प्रकार, दिनांक 18.07.2019 को लोक सभा के पहले सत्र में ही 161 सदस्यों को शून्य काल के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने की अनुमति दी गई। यह भी लोक सभा के इतिहास में एक दिन में सबसे अधिक संख्या है।

11वीं से 17वीं लोक सभा के दौरान शून्य काल के दौरान उठाए गए मामले

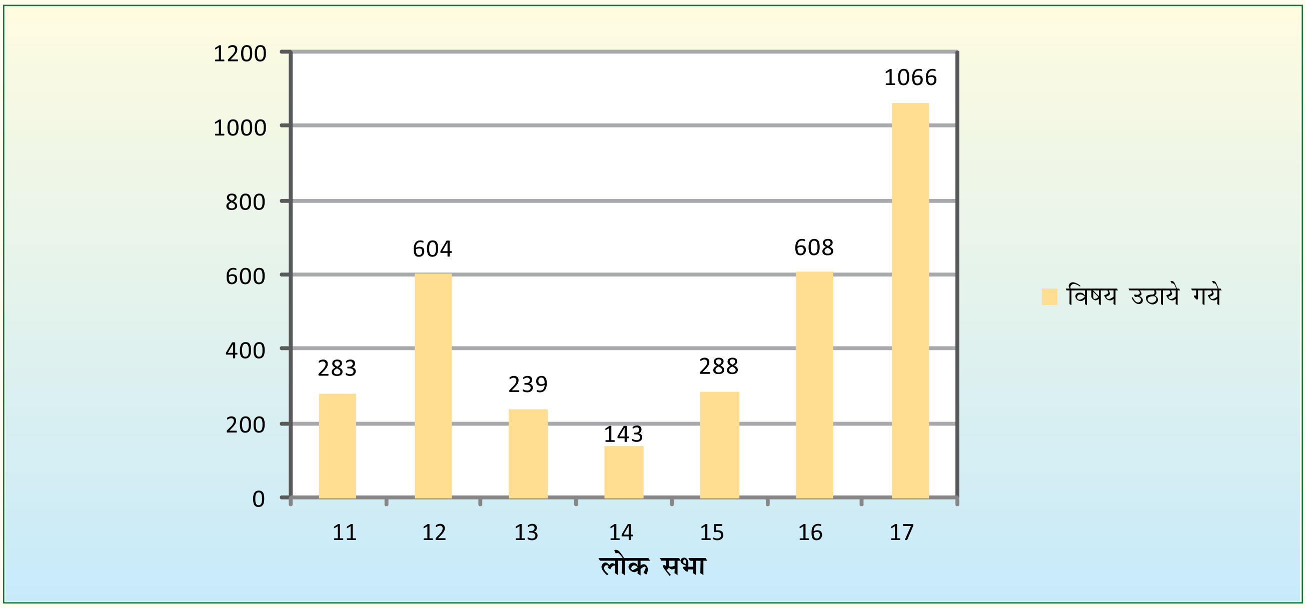

11वीं से 16वीं लोक सभा के प्रथम और द्वितीय सत्र के आंकड़े अंतर्विष्ट हैं।
17वीं लोक सभा का प्रथम सत्र केवल।

4. विधायी कार्य

विधायी कार्य के संबंध में पहले सत्र में 33 सरकारी विधेयकों को पुर:स्थापित किया गया और 35 सरकारी विधेयकों को पारित किया गया। 37 बैठकों में इतनी बड़ी संख्या में विधेयक पुर:स्थापित और पारित होना, वह भी सभा के सभी वर्गों की पूर्ण सहभागिता के साथ, एक बड़ी उपलब्धि रही। कई विधेयकों पर सभी पार्टियां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से इन्हें पारित करने के लिए तत्पर रहीं। पहले सत्र में पारित किए गए विधेयकों में से जम्मू और

कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019; राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019; मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019; उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019; एवं मजदूरी संहिता विधेयक, 2019 आदि प्रमुख थे।

दूसरे सत्र में कुल 18 विधेयक पुर:स्थापित किए गए और 14 विधेयक पारित किए गए। दूसरे सत्र में पारित किए गए विधेयकों में से चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019; स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019; नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019; संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 तथा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 आदि प्रमुख थे।

तीसरे सत्र में कुल 18 विधेयक पुर:स्थापित किए गए और 15 विधेयक पारित किए गए। तीसरे सत्र में पारित किए गए विधेयकों में से प्रमुख विधेयक, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020; खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020; दिवालिया एवं शोधन अक्षमता कोड (संशोधन) विधेयक, 2020; तथा दि इंस्टिट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद विधेयक, 2020 इत्यादि शामिल हैं।

पहली से सत्रहवीं लोक सभा प्रथम सत्र में पारित विधेयक

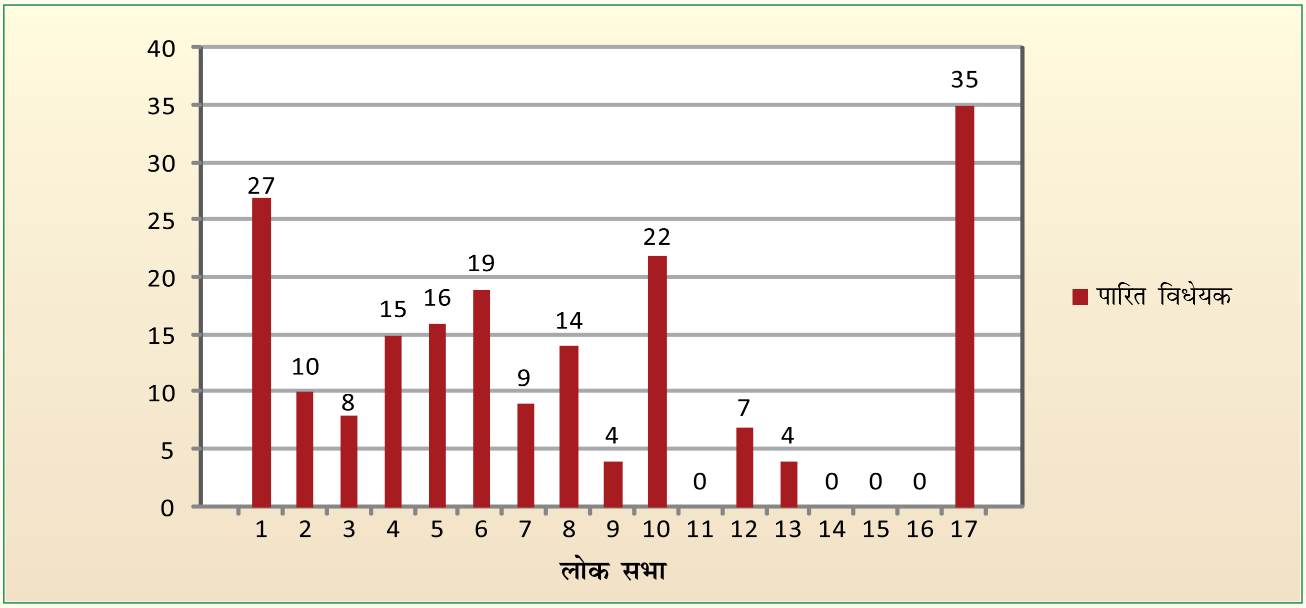

5. नवनिर्वाचित सदस्यों को अधिकाधिक अवसर

सभा में समसामयिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को माननीय अध्यक्ष द्वारा पहले ही सत्र में अवसर उपलब्ध कराये गए। 265 नवनिर्वाचित सदस्यों में से 229 सदस्यों द्वारा अपना पहला भाषण शून्य काल में दिया गया। इसके अलावा, 46 नई महिला सदस्यों ने भी शून्य काल के दौरान अपनी बात रखी। नवनिर्वाचित सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए उपलब्ध कराए गए इतने अधिक अवसरों का और कोई उदाहरण नहीं मिलता है। यह एक प्रशंसनीय पहल थी।

6. माननीय अध्यक्ष द्वारा सांसदों की भागीदारी एवं सरकार की जवाबदेही बढ़ाने की पहल

माननीय अध्यक्ष द्वारा की गई पहल के परिणामस्वरूप, नियम 377 के अधीन उठाए गए/रखे गए मामलों के उत्तरों की संख्या के प्रतिशत में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली।

इस पहल के दृष्टिगत महासचिव की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों के सचिवों/अपर सचिवों की बैठक बुलाकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि उत्तरों को 30 दिनों की निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जाए और चूंकि ये मुद्दे किसी विशिष्ट संसद सदस्य के संसदीय क्षेत्र के आम नागरिकों से संबंधित हैं और ये उक्त पहल का अंग

हैं, इसलिए समयावधि के भीतर उत्तर प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता पर निरंतर बल दिया गया। इस अभिनव पहल के परिणामस्वरूप, 17वीं लोक सभा के पहले तीन सत्रों के दौरान उत्तरों का प्रतिशत 88% तक बढ़ गया, जबकि 15वीं और 16वीं लोक सभा में इसका प्रतिशत लगभग 60% था। आशा है भविष्य में यह 100% का अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा।

माननीय अध्यक्ष द्वारा की गई पहल के परिणामस्वरूप, सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर संसदीय कार्य मंत्रालय के वक्तव्य पर निवेदन प्रस्तुत करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इसके स्थान पर, सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई थी।

7. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के 389 नियम के अनुसरण में निर्देशों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 389 के अनुसरण में निर्देशों में संशोधन किये हैं। निर्देश 27 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि किसी सदस्य को एक सत्र के दौरान केवल तीन गैर-सरकारी विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति होगी। साथ ही निर्देश 42 में संशोधन किया गया है कि किसी सदस्य को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर केवल दस कटौती प्रस्ताव पेश करने की अनुमति होगी। इस कदम के पीछे उनका मंतव्य था कि सदन में चर्चा को व्यवस्थित किया जाये और ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को अपने विचार रखने का मौका मिले।

II. सदन के कामकाज में सुधार

1. लोक सभा कक्ष के अंदर एलईडी डिस्प्ले पैनल तथा आउटर लॉबी में इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल स्क्रीन

संसद भवन के लोक सभा कक्ष में पुराने प्लाज्मा स्क्रीन के स्थान पर नए 98 इंच के एलईडी डिस्प्ले पैनल लगाए गए हैं जिनमें कार्यवाही में शामिल संसद सदस्यों के नाम एवं उनसे संबंधित सूचनाएं प्रदर्शित होती रहती हैं। माननीय संसद सदस्यों की सुविधा के लिए आउटर लॉबी और पार्लियामेंट्री नोटिस ऑफिस में डिस्प्ले के लिए इलेक्ट्रॉनिक/ डिजिटल सिस्टम भी लगाया गया है।

2. सदस्यों को सदन में उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य की वीडियो क्लिप उपलब्ध कराना

लोक सभा के सदस्यों को सदन में उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य की वीडियो क्लिप डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की पहल की गई है। संसद के इतिहास में इस तरह का प्रयोग पहली बार किया गया है। सभी सांसदों को उनके मोबाइल में वीडियो क्लिप उपलब्ध कराई जा रही है।

संसद सदस्यों द्वारा लोक सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के तुरंत बाद उनकी वीडियो क्लिपिंग उनके व्हाट्सएप्प, इंस्टाग्राम एवं लोक सभा टीवी की वेबसाइट पर उसी दिन उपलब्ध कराई जाती है।

3. संसद सदस्यों की क्षमता निर्माण के कदम

माननीय अध्यक्ष की पहल पर संसद सदस्यों की क्षमता निर्माण के कदम के रूप में संदर्भ प्रभाग द्वारा सभा के समक्ष महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर 19 ब्रीफिंग सत्र आयोजित किये गए हैं। इसका उद्देश्य सभा के विधायी मुद्दों पर संसद सदस्यों को जानकारी देना है। एक बार जब विधेयक पुर:स्थापित हो जाता है तब विधेयक के संबंध में ब्रीफिंग सत्र रखा जाता है जिसमें संबंधित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सांसदों को जानकारी देते हैं। सदस्यों ने इस पहल की बहुत सराहना की है।

4. 19 साल बाद सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति (जीपीसी) की बैठक आयोजित

बजट सत्र में 10 फरवरी 2020 को लोक सभा की सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति की बैठक 19 साल बाद माननीय लोक सभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

इस बैठक में सभी स्थायी समितियों के सभापतिगण, सभी दलों के नेतागण, लोक सभा के पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स एवं विशेष अतिथि के रूप में संसदीय कार्य राज्यमंत्री सहित 35 सदस्य सम्मिलित हुए। इस बैठक के दौरान संसद से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। यह भी तय किया गया है कि प्रत्येक सत्र के दौरान नियमित तौर पर बैठकें कराई जाएंगी।

19 मार्च 2020 को इस समिति की दूसरी बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में संसद की नई इमारत के निर्माण के संबंध में विचार किया गया।

5. लोक सभा के नियमों की समीक्षा

वर्ष 1989 में आखिरी बार नियमों की समीक्षा की गई थी। सत्रहवीं लोक सभा में माननीय अध्यक्ष की पहल पर 11 नवंबर 2019 को लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई है। इस समिति की चेयरपर्सन लोक सभा की महासचिव हैं एवं तीन भूतपूर्व महासचिव इसके सदस्य हैं।

समिति ने अब तक की गई बैठकों में उन नियमों पर ध्यान दिया है जिनमें सुधार की आवश्यकता है और उन नियमों में संशोधनों/सुधारों पर कार्य किया जा रहा है। इस समिति की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी।

आंतरिक नियम समीक्षा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद नियमों में समीक्षा से संबंधित प्रस्तावों को संसद की नियम समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

III. समिति प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

पिछले एक वर्ष में माननीय अध्यक्ष ने संसदीय समितियों के कार्यकरण की व्यापक समीक्षा की है और समिति के कार्यकरण को प्रभावी बनाने के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। इनमें निम्नलिखित निर्णय प्रमुख हैं:–

(क) संसदीय समितियां यह सुनिश्चित करने पर बल देंगी कि सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। इस उद्देश्य के लिए पूर्व संसदीय समितियों की सिफारिशों, जिनके परिणामस्वरूप, आम जनता सीधे तौर पर लाभान्वित हुई, के प्रकाशनों को भावी समितियों के मार्गदर्शन के लिए संकलित किया जा रहा है।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संसदीय समितियों की सिफारिशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और ऐसे मामले, जिनमें अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, उनके संबंध में एक प्रतिवेदन तैयार करके उसे सभा पटल पर रखा जाएगा।

(ग) संसदीय समितियों द्वारा चयनित विषयों की सूची को संसद ग्रंथालय की शोध एवं संदर्भ सेवा को भेजा जाएगा। यह सेवा उन विषयों पर आवश्यक इनपुट एवं रिफरेंस नोट समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराएगी। इससे समिति के माननीय सदस्यों को समिति द्वारा चयनित विषयों की जांच में मदद मिलेगी।

(घ) मानव विकास से जुड़े पहलुओं से संबंधित कार्य करने वाली समितियों के सभी प्रतिवेदनों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनमें दिए गए आंकड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचकों के मानदंडों पर खरे उतरते हैं या नहीं।

(ङ) विभिन्न समितियों द्वारा विषयों के चयन की प्रक्रिया में समुचित समन्वय सुनिश्चित करके एक जैसे विषय चुने जाने की स्थिति से बचने का प्रयास किया जाएगा।

IV. माननीय संसद सदस्यों के लिए प्रदत्त सुविधाएं

1. आवासीय सुविधाएं

माननीय संसद सदस्यों के लिए बने नॉर्थ एवेन्यू में 36 डुप्लेक्स फ्लैटों का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा 19 अगस्त 2019 को किया गया। यह उस श्रृंखला में पहली कड़ी है, जिसके अंतर्गत 264 फ्लैट्स नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में बनाये जाने हैं।

बीडी मार्ग में स्थित सात बंगले और तालकटोरा रोड पर स्थित एक बंगले को तोड़कर वहां पर 76 बहुमंजिला आवासीय फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इसका संपूर्ण कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाए एवं साथ-साथ इसके निर्माण की गुणवत्ता भी उच्च स्तर की हो।

नए वेस्टर्न कोर्ट कांप्लेक्स में पहली मंजिल पर स्थित कान्फ्रेंस हॉल को बदलकर ''डोरमेट्री स्टाइल अकोमोडेशन'' बनाए जाने के आदेश दे दिए गए हैं ताकि माननीय संसद सदस्यों से मिलने आने वाले आगंतुकों के ठहरने के लिए समुचित इंतजाम किया जा सके।

वेस्टर्न कोर्ट परिसर, जिसमें पुराने एवं नए भवन दोनों सम्मिलित हैं जिनका उपयोग माननीय सदस्य ट्रांजिट और गेस्ट अकोमोडेशन के रूप में करते हैं, वहां पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध के लिए एक्सेस कंट्रोल किया जाएगा।

2. आईआरसीटीसी का बुकिंग काउंटर

माननीय सदस्यों की निजी विमान यात्राओं के लिए टिकट बुकिंग करने की सुविधा प्रदान करने के लिए संसद भवन परिसर में एक नए आईआरसीटीसी के बुकिंग काउंटर के लिए भी आदेश जारी किए जा चुके हैं।

3. एंबुलेंस सर्विस की व्यवस्था

संसद सदस्यों के आवासीय क्षेत्रों जैसे कि नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में सीजीएचएस द्वारा चलाए जा रहे वेलनेस सेंटर में 24 घंटे एंबुलेंस सर्विस की व्यवस्था आदेश अनुसार की जा चुकी है ताकि माननीय सदस्यों एवं उनके परिजनों को इमरजेंसी सर्विसेज की सुविधा मिल सके।

4. माननीय सांसदों के लिए हेल्थ चेकअप

माननीय संसद सदस्यों और उनके परिवारजनों के लिए 20 नवंबर से 4 दिसंबर 2019 तक एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विभागों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दीं। 537 माननीय संसद सदस्यों ने इसका लाभ उठाया।

5. पूर्व सांसदों से संबंधित पहल

माननीय अध्यक्ष जी ने यह भी कहा है कि पूर्व सांसदों को भी कांटेक्ट किया जाए और उनके स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानकारी ली जाए।

किसी भी पूर्व सदस्य के निधन पर सम्मान के तौर पर लोक सभा अध्यक्ष की तरफ से एक सम्मान सूचक (Wreath) रखे जाने की पहल की गई है। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव/प्रशासकों को कहा गया है कि वे संबंधित जिलाधिकारियों को यह निर्देश देंगे कि पूर्व संसद सदस्य के निधन पर लोक सभा अध्यक्ष की ओर से उनके सम्मान में एक Wreath रखा जाए।

6. सांसदों के लिए सूचना और संचार केन्द्र की स्थापना

लोक सभा अध्यक्ष ने सदस्यों को तुरंत सूचना और सहायता उपलब्ध कराने और उन्हें अपने उत्तरदायित्वों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में सहायता प्रदान करने हेतु एक सूचना और संचार केन्द्र स्थापित किया है। कल्याण शाखा द्वारा संचालित इस केन्द्र के द्वारा माननीय सदस्यों को लोक सभा सचिवालय के संबंध में सभी प्रकार की सूचनाएं जैसे कि लोक सभा की कार्रवाई से संबंधित सूचना, तारांकित प्रश्नों में सदस्यों की भागीदारी, शून्यकाल, नियम 377 के अंतर्गत चर्चा में भागीदारी, प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों के संबंध में ब्रीफिंग, शोध, संदर्भ, चिकित्सा सुविधा, वाहनों और आवास से संबंधित जानकारी एवं अन्य सूचनाएं एकल विंडो के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। माननीय सदस्यों

के मोबाइल नंबर और उनके किसी एक निजी स्टाफ के फोन नंबर को इस सूचना केन्द्र के साथ जोड़ा गया है। इस माध्यम से अभी तक 21,000 कॉल माननीय सांसदों को गयी हैं और 6,000 कॉल कोविड-19 के दौरान उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए की गयी हैं।

V. क्षमता निर्माण संबंधी पहल

लोक सभा के संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण ब्यूरो के कार्यक्षेत्र में अध्ययन और प्रशिक्षण के साथ शोध को भी शामिल करके अब और व्यापक बनाया गया है और अब इसे पार्लियामेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज (प्राइड) नाम दिया गया है। इसके तत्वावधान में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं:–

(i) संसद सदस्यों के पीए और निजी स्टाफ के लिए ई-पार्लियामेंट, संसदीय प्रक्रियाओं एवं कार्यविधि से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राइड को इस संबंध में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और प्रतिभागियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर इस कार्यक्रम में दो और विषयों, अर्थात् 'समिति प्रणाली का कार्यकरण' तथा ''शिष्टाचार और व्यवहार'' को जोड़ा गया है।

(ii) संसद में नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए ओरिएन्टेशन कार्यक्रम के अतिरिक्त प्राइड द्वारा 'संसदीय डिप्लोमेसी' पर संसद सदस्यों के लिए एक ओरिएन्टेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संसद सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखने के लिए जागरूक बनाने के लिए आयोजित किया गया था।

(iii) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और संसद के कार्यकरण के बीच की दूरी को कम करने के उद्देश्य से प्राइड ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विभिन्न संसदीय कार्यविधियों से संबंधित एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 नवंबर, 2019 से शुरू किया है।

(iv) सत्रहवीं लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम छह सत्रों में आयोजित किया गया। यह सत्र 3 जुलाई, 4 जुलाई, 19 जुलाई, 21 नवंबर, 28 नवम्बर तथा 05 दिसंबर 2019 को आयोजित किए गए।

(v) राज्य विधान मंडलों के सदस्यों हेतु प्रबोधन कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और हरियाणा विधान मंडलों के सदस्यों के लिए आयोजित किये गए। हरियाणा विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के समापन समारोह में 22 जनवरी 2020 को माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने हरियाणा विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी सम्बोधित किया।

(vi) मालदीव के संसद सदस्यों और अधिकारियों के लिए प्रबोधन/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए लोक सभा सचिवालय के तीन अधिकारियों ने मालदीव का दौरा भी किया। बाद में भारतीय संसद के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण लेने के लिए मालदीव की संसद के दस अधिकारियों के एक दल ने प्राइड का दौरा किया।

(vii) कम्बोडियन सीनेट के अधिकारियों, अजरबैजान के संसद सदस्यों, कैमरून संसद के सदस्यों, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्ज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के अधिकारियों, पीपल्स मजलिस ऑफ मालदीव के अधिकारियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(viii) प्राइड ने पहली बार निम्नलिखित ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया : (i) पीपीआर, एलएसटीवी, माननीय अध्यक्ष के कार्यालय के अधिकारियों और लोक सभा सचिवालय के अन्य अधिकारियों के लिए ''हैंडलिंग सोशल मीडिया''; (ii) लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मंडलों के अधिकारियों के लिए प्रश्न, विधायी और बजटीय प्रक्रिया; (iii) तनाव प्रबंधन; और (iv) लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाना।

VI. अन्य संसदीय कार्यक्रम और नवाचार

1. संसद भवन के बाहरी भाग में फसाड लाइट

संसद परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए माननीय अध्यक्ष के निर्देशों की अनुपालना में संसद भवन के बाहरी भाग में फसाड लाइट व्यवस्था का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2019 को उद्घाटन किया गया। फसाड लाइटिंग से रात्रि में संसद भवन की सुन्दरता निखरी है और यहां आने वाले आगंतुकों ने इसकी तारीफ भी की है।

2. संसद भवन परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध

माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत (2019) वर्ष में स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने का आह्वान किया था। इसी क्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय ने संसद भवन परिसर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है।

3. स्वच्छता अभियान की शुरुआत

'स्वच्छ भारत' के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए 13 और 14 जुलाई, 2019 को संसद सदस्यों और लोक सभा सचिवालय की सहभागिता के साथ संसद भवन परिसर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का शुभारंभ गांधी जी द्वारा देखे गए स्वच्छता के सपने को साकार करने का एक प्रयास था और स्वच्छता के संदेश को घर-घर तक पहुंचाना था।

4. योगाभ्यास

21 जून 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पहली बार संसद के प्रांगण में सुबह 6:30 बजे लोक सभा तथा राज्य सभा के 134 सांसदों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर योगाभ्यास किया।

5. फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन

माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर संसद भवन परिसर में 6 सितम्बर 2019 को महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने 'फिट इंडिया कार्यक्रम' का आयोजन किया गया जिसमें कई सांसदों, कर्मचारियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। माननीय अध्यक्ष ने सभी को फिट रहने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ उन्हें यह संकल्प भी दिलवाया कि वे खुद फिट रहेंगे और अपने परिवार वालों एवं साथियों को फिट रहने एवं अच्छी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

6. गांधीजी की 150वीं जयंती समारोह का आयोजन

महात्मा गांधीजी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्तूबर 2019 को संसद भवन में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें माननीय अध्यक्ष की प्रेरणा से चरखा कताई के अलावा खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से तीन दिनों के लिए संसद परिसर में प्रदर्शनी सह विक्रय काउंटर भी लगाया गया।

7. संसद परिसर में कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देना

संसद भवन परिसर में किसी भी तरह के भुगतान के लिए नकदी रहित लेन-देन को बढ़ावा दिया गया। संसद सदस्यों के उपयोग हेतु केंद्रीय कक्ष में जलपान सुविधा, संसद भवन में स्थित रेलवे खान-पान इकाई के स्नैक्स बार और संसदीय सौध तथा संसद ग्रंथालय भवन में खान-पान इकाइयों में कैशलेस प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।

8. स्टेट बैंक में कैशलेस सेवा का शुभारंभ

संसद भवन में स्टेट बैंक द्वारा अब पूर्णत: कैशलेस सेवा आरंभ करने की तैयारी की गई है। संसद की कैंटीन के लिए विशिष्ट डिजिटल सोल्यूशन के तहत भारतीय स्टेट बैंक अपने सभी ग्राहकों को प्रीपेड रूपे कार्ड उपलब्ध करा रही है।

9. वृक्षारोपण कार्यक्रम

26 जुलाई 2019 को संसद परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय लोक सभा अध्यक्ष, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री तथा कई अन्य केन्द्रीय मंत्रियों ने पौधे लगाए।

माननीय अध्यक्ष ने राज्य सभा और लोक सभा के प्रत्येक माननीय सांसद से व्यक्तिगत रूप से एक पेड़ लगाने का आग्रह किया, जिससे कि देश के प्रत्येक गांव एवं नगर तक वृक्षारोपण का संदेश पहुंच सके। इस लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति तक ये पौधे हरे-भरे पेड़ों के रूप में विकसित हो जाएंगे।

10. संविधान दिवस की 70वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन

वर्ष 2019 को भारत के संविधान को अंगीकृत किए जाने एवं देश की जनता को आत्मार्पित किए जाने की 70वीं वर्षगांठ पर एक विशेष कार्यक्रम केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति, प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा तथा लोक सभा के संसद सदस्यों ने भाग लिया।

संसदीय ग्रंथालय भवन में एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।

इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति ने लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित 2020 कैलेण्डर 'भारत का संविधान @70' का डिजिटल लोकार्पण किया।

11. 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संसद भवन में झंडारोहण

एक ऐतिहासिक शुरुआत करते हुए लोक सभा अध्यक्ष ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संसद भवन स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास झंडा फहराया। देशवासियों को बधाई देते हुए श्री बिरला ने कहा: "आजादी के इस पर्व पर सम्पूर्ण देश में उल्लास, उमंग और उत्साह का वातावरण है। श्री बिरला ने लोगों से अनुरोध किया कि हम सब मिलकर आजादी के इस पर्व पर संकल्प लेकर इस नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें और नए भारत के निर्माण में सहभागी बनें"। इससे पूर्व केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी ने श्री बिरला को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। श्री बिरला ने संसद भवन स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल भी चढ़ाए।

VII. लोक सभा सचिवालय में मितव्ययिता

वित्तीय सुधारों पर जोर देते हुए माननीय अध्यक्ष ने अनेक अवसरों पर लोक सभा सचिवालय में होने वाले खर्चों में कमी करने का सुझाव दिया है।

पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान लोक सभा के बजट अनुदान (मांग सं. 78) के तहत 809.13 करोड़ रुपये के कुल बजट अनुदान में से 650.05 करोड़ रुपये की धनराशि का व्यय हुआ है। कुल 159.08 करोड़ रुपये की बचत हुई है। दूसरे शब्दों में, कुल बजट अनुदान का 80.34% खर्च किया गया है और 19.66% की बचत की गई है।

अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल बजट अनुमान में 163.80 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है जो कि कुल बजट का 20.2 प्रतिशत है।

वर्ष 2019-20 के बजट, व्यय एवं बचत का ग्राफिक चित्रण

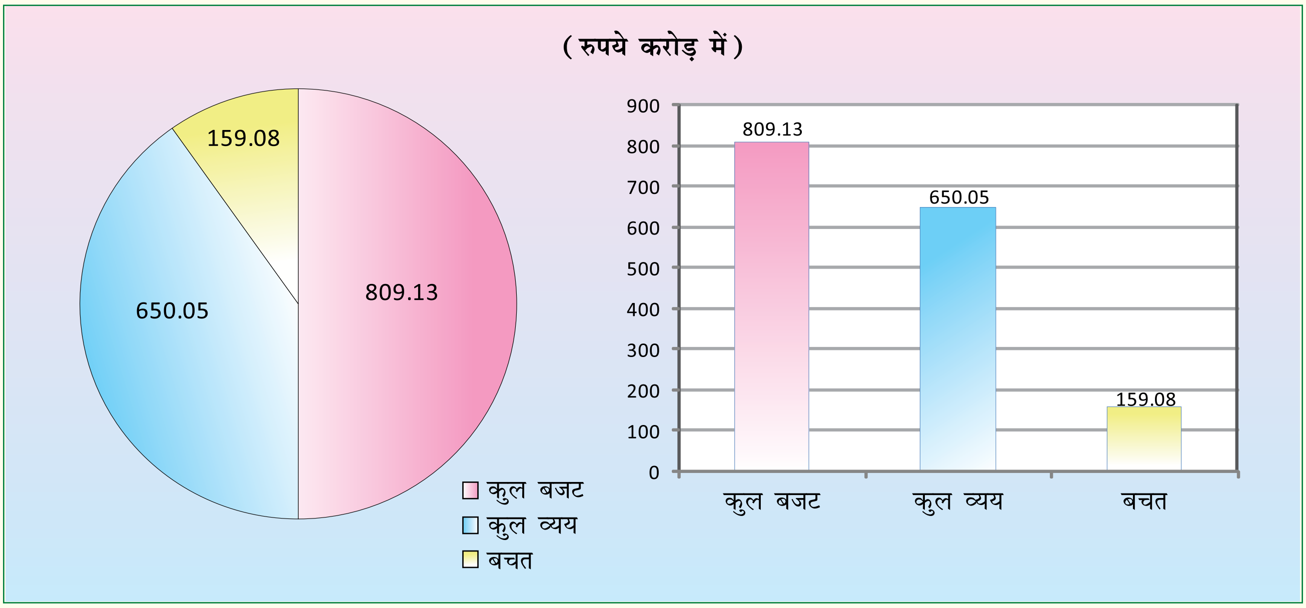

ये बचत मूलतः लोक सभा के बजट में लेस पेपर्स यूज के अभियान एवं वर्तमान और पूर्व संसद सदस्यों के यात्रा के खर्च (जिसमें रेल यात्रा पर खर्च भी सम्मिलित है) में मितव्ययिता अपनाने और संसदीय समितियों के अध्ययन दौरों के दौरान होटल, परिवहन इत्यादि पर होने वाले खर्च को विनियमित करके, संसदीय कैंटीन को दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त की जा रही है।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. के मद के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए किये जाने वाले खर्च में भी कटौती की गयी, जिसमें लोक सभा, राज्य सभा एवं संसदीय कार्य मंत्रालय में फूलों की रोजमर्रा सप्लाई पर होने वाले व्यय शामिल हैं।

VIII. संसद भवन की नई इमारत का प्रस्ताव

दिनांक 05 अगस्त, 2019 को सदन में एक उल्लेख के माध्यम से माननीय अध्यक्ष ने सदन को बताया था कि वर्तमान संसद भवन अपने 92 स्वर्णिम वर्ष पूरे कर चुका है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक लोकतंत्र के बढ़ते स्वरूप ने देश की इस सबसे पवित्र और महान धरोहर का उत्तरदायित्व भी बढ़ाया है और इससे देश की अपेक्षाओं का विस्तार भी हुआ है।

इसी के आलोक में माननीय अध्यक्ष ने वर्ष 2022 में स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ नए संसद भवन में मनाने का सरकार से आग्रह किया।

IX. राज्य विधान मंडलों से संवाद

1. राज्य विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक

दिनांक 28 अगस्त 2019 को संसदीय सौध में संपन्न हुई राज्य विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक माननीय लोक सभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। सभी पीठासीन अधिकारी इस बात पर सहमत थे कि सांसदों अथवा विधायकों के ''वेल'' में आने पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनाया जाए। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें विधान मंडलों में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के उत्तरोत्तर उपयोग, सभा में व्यवधान और विधान मंडल की वित्तीय स्वतंत्रता जैसे मुद्दे प्रमुख थे।

लोक सभा अध्यक्ष ने निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श हेतु विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों की चार समितियों का गठन किया:-

(i) सदन के सुचारू कार्यकरण से संबंधित मामलों पर विचार करने संबंधी समिति, जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष कर रहे हैं।

(ii) विधान मंडलों के कार्यकरण में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का मूल्यांकन करने और मार्गदर्शन देने संबंधी समिति, जिसकी अध्यक्षता असम विधान सभा के माननीय अध्यक्ष कर रहे हैं।

(iii) विधान मंडल सचिवालयों की वित्तीय स्वतंत्रता संबंधी मामले की जांच करने संबंधी समिति, जिसकी अध्यक्षता राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष कर रहे हैं।

(iv) संविधान की 10वीं अनुसूची (Anti Defection) के प्रावधानों के संबंध में समिति।

2. देहरादून में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन में लिए गए संकल्प

भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों का 79वां सम्मेलन, दिसम्बर 2019 देहरादून में उत्तराखंड विधान सभा द्वारा आयोजित किया गया। यह सम्मेलन काफी सफल रहा। इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और निम्नलिखित संकल्प लिए गए:–

(i) सदन का काम–काज सुचारू रूप से चलना सुनिश्चित करने के लिए एवं व्यवधान को रोकने के लिए सभी विधान सभाएं, विधान परिषद, लोक सभा और राज्य सभा द्वारा कठोर नियम बनाने एवं सदस्यों के सभा के ''वेल'' यानी गर्भगृह में आने पर उनके विरुद्ध तुरंत कार्यवाही के लिए नियम बनाने का संकल्प।

(ii) सभी विधान मंडलों के नियमों में एकरूपता लाने के लिए पीठासीन अधिकारियों की एक समिति का गठन किया जाना।

(iii) सभी विधान मंडलों में माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्व के अधिकाधिक मुद्दों को शून्य काल के माध्यम से उठाने का अवसर प्रदान किया जाना।

(iv) विभिन्न विधान मंडलों के ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं प्रलेखों के डिजिटाइजेशन में लोक सभा सचिवालय की विशेषज्ञता का लाभ उठाना।

(v) लोक सभा सचिवालय की प्राइड द्वारा सभी विधान मंडलों के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत तीन साल तक प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव।

(vi) उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार की तर्ज पर एक वार्षिक उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिए जाने का प्रस्ताव।

(vii) आगामी वर्ष 2021 में इस सम्मेलन के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी 14–15 सितम्बर 2021 में एक भव्य शताब्दी समारोह के आयोजन।

(viii) e-NEVA प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत के सभी विधान मंडलों में संचार और सूचना तकनीक से संबंधित कार्यों का कार्यान्वयन लोक सभा सचिवालय द्वारा किया जाएगा। इसके माध्यम से देश की सभी विधान सभाएं, विधान परिषद, लोक सभा एवं राज्य सभा आपस में डिजिटल रूप से जुड़ सकेंगी।

3. 7वां सीपीए इंडिया लखनऊ सम्मेलन

''विधायकों की भूमिका'' विषय पर दो दिवसीय 7वां सीपीए इंडिया रीजन सम्मेलन लखनऊ में जनवरी 2020 में आयोजित किया गया था। सीपीए इंडिया रीजन की विभिन्न शाखाओं और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों की 35 शाखाओं ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि विचारों और अनुभवों का ऐसा आदान-प्रदान विधायकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने से लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करता है। उन्होंने उल्लेख किया कि जन प्रतिनिधि इस बात पर एकमत थे कि विधान सभाओं को बिना किसी व्यवधान के आसानी से काम करना चाहिए। इसके लिए, नियमों को तैयार किया जा सकता है और

विधान सभाओं के नियमों में एकरूपता लाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। सम्मेलनों में लिए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए, श्री बिरला ने कहा कि संसद सहित सभी विधान सभाओं की बहस को एक मंच पर लाया जाएगा। इसके अलावा, सभी जन प्रतिनिधि एकमत थे कि ग्राम पंचायत, नगरपालिका, जिलों के स्तर पर भी इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाने चाहिए ।

4. पीठासीन अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से चर्चा

दिनांक 21 अप्रैल 2020 को राज्य विधान सभाओं के पीठासीन अधिकारियों के साथ एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान लोक सभा अध्यक्ष ने संसदीय कैलेंडर, एवं अन्य कई मुद्दों सहित कोविड-19 पर पीठासीन अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। विचार-विमर्श के दौरान सभी पीठासीन अधिकारियों सहित माननीय अध्यक्ष ने अपने अनुभवों को साझा किया।

कोविड-19 से सम्बंधित इस चर्चा का मूल उद्देश्य महामारी के विरुद्ध लड़ाई में विधान मंडलों द्वारा सार्थक भूमिका निभाना और अपने-अपने विधायी क्षेत्रों में राहत कार्यों में सहायता पहुंचाने में सांसदों और विधायकों की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाया जाना था। इसके अलावा इस विषय पर भी चर्चा की गई कि राहत कार्यों में आ रही कठिनाइयों को दुरुस्त करने में हर संभव सहायता की जाए।

इस वीडियो सम्मेलन में राज्य विधान मंडलों के 27 अध्यक्षों और 1 सभापति ने भाग लिया। चर्चा के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. सभा में व्यवधान, विधानमंडलों की स्वायत्तता, संविधान की दसवीं अनुसूची तथा सूचना प्रौद्योगिकी और इससे जुड़े मामलों की जांच के लिए पहले गठित की गई पीठासीन अधिकारियों की चार समितियों ने अपनी रिपोर्टों को अंतिम रूप देने में सराहनीय कार्य किया है और उनके द्वारा शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी।
2. विधायी और वित्तीय कार्यों के साथ-साथ बैठकों और फाइल सिस्टम जैसे रूटीन कार्यों में डिजिटल व्यवहार्यता पर प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग की संभावनाओं पर विचार किया गया।
3. मिलजुल कर काम करने और आपदा प्रबंधन के कुशल कार्यान्वयन से भारत में कोरोना वायरस रोग से होने वाले नुकसान को कम करने में मिली सफलता पर चर्चा की गई।
4. 'वसुधैव कुटुंबकम' के प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुरूप भारत द्वारा दवाइयों और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करके दूसरे देशों की मदद करने की कोशिश की पहल की सराहना की गई।
5. राज्य विधान सभाओं और संसद के बीच जानकारी के रियल टाइम आदान-प्रदान के लिए नियंत्रण कक्षों की स्थापना का निर्णय लिया गया – जिससे विधायकों और सांसदों को कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए अपने कर्तव्य अधिक प्रभावी ढंग से निभाने में मदद मिल सके ।

5. कोविड नियंत्रण कक्ष

कोरोना वायरस के मौजूदा संकट के मद्देनज़र, राज्य विधान सभाओं के पीठासीन अधिकारियों के साथ हुई चर्चा के आधार पर, देशभर में सांसदों और विधायकों द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों के बेहतर समन्वय के लिए संसद भवन और राज्य विधान सभा सचिवालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्णय के तहत जनता की सहायता के लिए संसद और 23 राज्यों की विधान सभाओं में कोविड कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और ये कंट्रोल रूम कुशलता से काम कर रहे हैं।

6. लोक लेखा समिति के शताब्दी वर्ष में भव्य समारोह के आयोजन का प्रस्ताव

लोक लेखा समिति की स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी। वर्ष 2021 में इसके 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक भव्य समारोह आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें राज्य विधानमंडलों की लोक लेखा समिति के सभापति तथा संसद की लोक लेखा समिति के सभापति सहित अन्य विशिष्ट गण्यमान्य अतिथिगण शामिल होंगे।

X. संसदीय राजनय को सुदृढ़ बनाना

माननीय अध्यक्ष लोक सभा के निर्देशों के अंतर्गत 17वीं लोक सभा के दौरान वैश्विक स्तर पर संसदीय मामलों में सार्थक और उद्देश्यपूर्ण योगदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित पहल की गई:

(i) माननीय अध्यक्ष ने 1 और 2 सितंबर 2019 को माले, मालदीव में आयोजित सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के संबंध में दक्षिण एशियाई अध्यक्षों के चौथे शिखर सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। मुख्य चर्चाओं में भाग लेने के अलावा, माननीय अध्यक्ष ने शिखर सम्मेलन के दौरान अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका के अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

(ii) माननीय अध्यक्ष ने अक्तूबर, 2019 में बेलग्रेड (सरबिया) में अंतर-संसदीय संघ की 141वीं सभा के लिए आठ सदस्यीय भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। सभा के दौरान, माननीय अध्यक्ष ने ''अंतर्राष्ट्रीय कानून का सुदृढ़ीकरण: संसदीय भूमिकाएं और तंत्र तथा क्षेत्रीय सहयोग के योगदान'' विषय पर आम चर्चा में भाग लिया। अंतर-संसदीय संघ के 130 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार था कि भारतीय संसद के अध्यक्ष ने अंतर-संसदीय संघ की आम सभा को हिंदी में संबोधित किया। माननीय अध्यक्ष ने अंतर-संसदीय संघ की 141वीं सभा के दौरान 'स्पीकर्स डायलॉग ऑन गवर्नेंस ऑन डेवलपमेंट एण्ड इकॉनोमी' के ब्रेकअवे सत्र को संबोधित किया। माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में अंतर-संसदीय संघ के इतिहास में पहली बार, आकस्मिक संकल्प मद हेतु भारत के प्रस्ताव को सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। सभा के दौरान, ''जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने'' संबंधी संकल्प हेतु भारत के प्रस्ताव को सबसे अधिक संख्या में सकारात्मक मत मिले और इसे सफलतापूर्वक सभा के एजेंडे में आपातकालीन मद के रूप में शामिल किया गया।

सभा के दौरान माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं : (i) सरबिया की प्रधानमंत्री; (ii) सरबिया की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष; (iii) ईरान की संसद के अध्यक्ष; (iv) चेंबर ऑफ डेप्युटीज ऑफ मैक्सिको की अध्यक्ष; (v) बांग्लादेश की संसद की अध्यक्ष; (vi) अंतर संसदीय संघ की अध्यक्ष।

(iii) माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने टोक्यो, जापान में 3-5 नवंबर 2019 तक आयोजित जी-20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के छठे शिखर सम्मेलन (पी-20) में भाग लिया। शिखर सम्मेलन के दौरान, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने ''मानव-केंद्रित भविष्य के समाज के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग'' विषय पर एक महत्वपूर्ण भाषण दिया और ''वैश्विक चुनौतियों के समाधान और सतत् विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास (विकास के लिए वित्तपोषण, पारदर्शी और प्रभावी सरकार की आवश्यकता आदि)'' विषय पर एक वक्तव्य दिया। माननीय अध्यक्ष ने सम्मानित सभा को हिंदी में संबोधित किया।

(iv) वर्ष के दौरान, मालदीव और कनाडा के संसदीय शिष्टमंडलों ने भारत का दौरा किया और माननीय अध्यक्ष से भेंट की। रूस, सरबिया और मिस्र के राजनायकों एवं फ्रांस की भारत फ्रांस संसदीय मैत्री की अध्यक्ष से भी भेंट की।

(v) भारतीय नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के संबंध में यूरोपीय संसद में लाए गए संयुक्त प्रस्ताव के संकल्प पर चर्चा के संबंध में माननीय अध्यक्ष ने 27 जनवरी 2020 को यूरोपीय संसद के अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा उन्हें सूचित किया कि भारतीय नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पर यूरोपीय संसद द्वारा कोई भी कार्रवाई एक विधानमंडल द्वारा किसी अन्य संप्रभु विधानमंडल के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का गलत दृष्टांत प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष को इस संदर्भ में सलाह देने के लिए 27 जनवरी, 2020 को अंतर-संसदीय संघ के अध्यक्ष को भी एक पत्र लिखा।

XI. प्रशासनिक पहल

माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा सचिवालय में कार्यकुशलता को सुनिश्चित करने के लिए एक अनूठी पहल के रूप में मई-जून, 2020 में विभिन्न शाखाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान माननीय अध्यक्ष ने संबंधित शाखाओं के वरिष्ठ अधिकारियों से उन शाखाओं की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और उनसे अंतर-संवाद किया। वे संबंधित अधिकारियों के विचारों से अवगत हुए एवं शाखाओं के सुचारू कार्यकरण हेतु अपनी ओर से अनेक बहुमूल्य सुझाव और निर्देश दिए। माननीय अध्यक्ष ने शाखाओं से निवेदन किया कि वे अपनी कार्यप्रणाली को इस प्रकार से प्रभावी बनाएं और ऐसी पहल की जाए जिससे कि माननीय सांसदों को अपने संसदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में प्रत्यक्ष लाभ मिले। माननीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की दक्षता एवं कौशल को और विकसित करने के उद्देश्य से एवं उनका मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से योग्य और कर्मठ कर्मचारियों को सम्मानित किया जायेगा।

XII. संसद ग्रंथालय

संसद ग्रंथालय में विशाल पुस्तक भंडार उपलब्ध है तथा माननीय सदस्यों के लिए बड़े रीडिंग रूम की भी व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष ने संसद ग्रंथालय सेवा के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी माननीय सदस्यों से संपर्क करके संसद ग्रंथालय के समृद्ध संसाधनों एवं उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी दें और माननीय सांसदों से इसका अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह करें।

माननीय अध्यक्ष द्वारा हाल ही में दिए गए निर्देशों के अनुसार, ग्रन्थालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने के लिए सदस्यों से सुझाव मांगने हेतु प्रत्येक 15 दिन में लोक सभा/राज्य सभा समाचार भाग-दो में पैराग्राफ जारी किए जाते हैं। सदस्य सेवाएं ब्रांच (सूचना एवं संचार प्रकोष्ठ) को इस संबंध में सदस्यों से संपर्क करने के लिए कहा गया है। इस पैराग्राफ को सदस्य पोर्टल पर भी डाला जा रहा है और सदस्यों को एसएमएस भी भेजे जा रहे हैं।

संसद ग्रन्थालय में नई पुस्तकें शामिल करने हेतु उनका चयन करने की वर्तमान प्रक्रिया में संशोधन करने संबंधी माननीय अध्यक्ष के निर्देश के अनुसरण में सीबी-एक शाखा को इस संबंध में एक ग्रन्थालय उप समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया है।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में विशिष्टजनों को समय-समय पर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय की पहल पर जिन विशिष्टजनों को पुष्पांजलि अर्पित की जाती है उनसे संबंधित 10 पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की जा चुकी हैं।

XIII. डिजिटाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन

1. संसदीय डिजिटल ग्रंथालय

माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के नेतृत्व में संसदीय डिजिटल ग्रंथालय गतिशील, विस्तृत एवं विकासोन्मुख हुआ है। इस पोर्टल में सन् 1858 से 1952 तक और प्रथम लोक सभा से लेकर अभी तक के सभी संसदीय वाद-विवाद एवं अन्य दस्तावेज eparlib.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, राष्ट्रपति के अभिभाषण, बजट भाषण, संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स के साथ-साथ लोक सभा के प्रकाशन की पुस्तकें, पत्रिकायें एवं अन्य प्रमुख पुस्तकों का डिजिटल संस्करण उपलब्ध है।

सन् 2019 में माननीय अध्यक्ष की पहल पर इस बहुमूल्य पहल के बारे में संसद सदस्यों के समक्ष व्यापक रूप से जानकारी दी गयी। पोर्टल के संग्रह की जानकारी लोक सभा एवं राज्य सभा की दैनिक बुलेटिन में भी प्रकाशित की गई।

सांसदों की सहायता हेतु संसद ग्रंथालय के अध्ययन कक्ष में एक सहायता पटल की स्थापना की गयी। इसके अलावा सांसदों को एसएमएस, ईमेल, सांसद पोर्टल तथा लोक सभा टेलीविजन द्वारा जानकारी दी गयी। सांसदों के निजी स्टाफ को भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिजिटल लाइब्रेरी की जानकारी दी गयी।

अब इस पोर्टल को अब तक 10 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं और इसमें कुल मिलाकर लगभग 40 लाख पृष्ठ हैं जिसकी संख्या निरंतर बढ़ाई जा रही है।

2. सचिवालय सेवाओं का कंप्यूटराइजेशन

कंप्यूटराइजेशन के क्षेत्र में 17वीं लोक सभा की स्थापना के बाद से माननीय अध्यक्ष द्वारा ई-संसद और पेपरलेस सचिवालय के लिए कई प्रयास किए गए।

कुछ मुख्य पहलें निम्नलिखित हैं –

- लोक सभा सचिवालय पूल आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन: लोक सभा कर्मचारियों के लिए मकान आवंटन, आदि के प्रबंधन हेतु एक आवेदन प्रोग्राम तैयार किया गया है।
- ड्यूज/नो ड्यूज प्रबंधन प्रणाली: सांसदों को अदेयता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम तैयार किया गया है। साथ ही लोक सभा सचिवालय के कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम विकसित किया जा रहा है।
- सदस्य पोर्टल: प्रतिक्रियाशील (रेस्पांसिव)सदस्य पोर्टल विकसित किया गया है जो सभी सदस्यों के लिए उनके मोबाइल पर उपलब्ध है। विधेयकों में संशोधन, शोध/संदर्भ टिप्पण, सभा में सदस्यों की भागीदारी के ऑडियो-वीडियो क्लिप, आदि अपलोड करने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं तैयार की गई हैं। 95 प्रतिशत सांसद इस पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं और 335 सांसद इसके द्वारा ई-नोटिस भेज रहे हैं।
- सदस्यों के पोर्टल के लिए खाता मॉड्यूल विकसित किया गया है जिसमें वेतन पर्ची, टीए / डीए विवरण और मेडिकल बिलों के भुगतानों का विवरण दिया गया है।
- आम जनता को अपने जनप्रतिनिधियों की लोक सभा की संसदीय कार्यवाही में भागीदारी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य से लोक सभा के होम पेज पर मेम्बर्स पार्टिसिपेशन इन दि बिजनेस ऑफ दि हाउस को नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है। विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं जैसे शून्य काल, गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य, धन्यवाद प्रस्ताव, बजट पर सामान्य चर्चा, आदि में माननीय सदस्यों की भागीदारी से संबंधित सूचना लोक सभा होमपेज पर उपलब्ध कराई गई है। इससे माननीय संसद सदस्यों की अपने क्षेत्र की जनता के प्रति एकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी।
- सभा की कार्यवाही में सदस्यों की भागीदारी : शून्यकाल, नियम 184, 377 के अंतर्गत मामले, नियम 193 के अंतर्गत अल्पावधि चर्चा, आदि जैसे विभिन्न मापदंडों पर वाद-विवाद में सदस्यों की भागीदारी देखने के लिए एक डाटाबेस बनाया गया है।
- भारतीय संसदीय समूह (आईपीजी) वेबसाइट: आईपीजी की गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई है।
- प्रेस व जनसंपर्क वेबसाइट: प्रेस और मीडिया तथा माननीय अध्यक्ष महोदय से संबंधित गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रेस व जनसंपर्क शाखा के लिए एक विशेष वेबसाइट विकसित की गई है।

XIV. लोक सभा टेलीविजन

17वीं लोक सभा के दौरान लोक सभा टेलीविजन द्वारा कई नए कार्यक्रम आरम्भ किये गए, जैसे प्रश्नकाल विशेष-प्रश्नकाल में विभिन्न मंत्रालयों से पूछे गए प्रश्नों पर आधारित; चर्चा सत्र-सदन की कार्यवाही की समाप्ति के ठीक बाद सांसदों के साथ चर्चा; लोकतंत्र चौपाल-आम लोगों से लोकतंत्र से जुड़े मसलों पर बातचीत; संसद के गलियारे से – मंत्रियों और विशिष्ट व्यक्तित्वों से संसद के गलियारे में वाक द टॉक; मैडम एमपी (अंग्रेजी) - महिला सांसदों की उपलब्धियों, उनकी जीवन यात्रा पर आधारित कार्यक्रम; हौसलों की उड़ान (हिन्दी) - महिला सांसदों की

उपलब्धियों, उनकी जीवन यात्रा पर आधारित कार्यक्रम; कथा एक पुस्तक की – विशिष्ट व्यक्तित्वों के माध्यम से विशिष्ट पुस्तकों का परिचय; अभिनंदन कोरोनावीर – कोरोना से संघर्ष में लगे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं का अभिनंदन; हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत, कोरोना से संघर्ष में विशिष्ट लोगों के संदेश; कलासेतु – कोरोना से संघर्ष में विशिष्ट कलाकारों का कला के माध्यम से संदेश।

सोशल मीडिया का प्रयोग

माननीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे यू-ट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम आदि का उपयोग माननीय सदस्यों के लिए हो। माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार, लोक सभा टेलीविजन में कई नए आयाम जोड़े गए हैं। अब यह यू-ट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग यू-ट्यूब पर प्रारंभ की गयी है। सोशल मीडिया के युग में इसके माध्यम से लाखों दर्शक लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, गत वर्षों में लोक सभा टीवी की सोशल मीडिया पर उपस्थिति अधिक प्रभावी हुई है। यू-ट्यूब चैनल, ट्विटर, फेसबुक पेज और एप के माध्यम से लाखों दर्शक जुड़ रहे हैं।

लोक सभा टेलीविजन में गत वर्ष में कई नए प्रयोग किये गए हैं, जैसे मोजो (मोबाइल जर्नलिज्म) स्ट्रीमयार्ड (एप के माध्यम से कार्यक्रम की प्रस्तुति (और स्काइप का प्रयोग) विदेशों से अतिथियों के साथ संवाद।

माननीय सदस्यों को सदन की कार्यवाही की जानकारी एप के माध्यम से उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है।

XV. अन्य पहलें

आगंतुकों के लिए ऑनलाइन दर्शक दीर्घा पास की व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए संसद भवन परिसर में आने वाले आगंतुकों के लिए ऑनलाइन दर्शक दीर्घा पास की सुविधा आने वाले मानसून सत्र से प्रारंभ कर दी जाएगी। इससे स्वागत कक्ष में, विशेषकर सत्र के दौरान अनावश्यक भीड़ से बचा जा सकेगा। जी.पी.सी. की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया गया था जिसने लगभग सभी नियमों के तहत अपनी सहमति दी।

उपसंहार

सत्रहवीं लोक सभा का पहला वर्ष अनेक अर्थों में ऐतिहासिक रहा है। नव निर्वाचित सदस्यों, पहली बार चुनकर आए सदस्यों और महिला सांसदों को शून्य काल के दौरान अपने मतदाताओं के सरोकारों को उठाने का अवसर देकर और वाद-विवाद में भी उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर माननीय अध्यक्ष ने यह सुनिश्चित किया है कि सभा में सभी को बोलने का अवसर मिले। यह संसदीय व्यवस्था में एक सकारात्मक कदम है और सभी दलों के नेताओं ने इसका स्वागत भी किया है। सभा में जिन दलों के बहुत कम सदस्य हैं, उन्हें भी सभा में अपने विचार व्यक्त करने का समुचित समय दिया गया है।

सदन के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में सदन के नेता, माननीय प्रधानमंत्री, सभी दलों के सदन के नेतागण तथा सभी माननीय सदस्यों ने सकारात्मक सहयोग दिया, जिसके कारण सत्रहवीं लोक सभा के पहले वर्ष में सदन की कार्य उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। सदन में विभिन्न विषयों पर वाद-विवाद एवं लोक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा भी हुई और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में माननीय अध्यक्ष महोदय को सभी पक्ष के माननीय सदस्यों का पूरा सहयोग मिला जिससे सदन की गरिमा तथा मर्यादा में और वृद्धि हुई है।

पिछले वर्ष माननीय अध्यक्ष के आदेश और निर्देशों पर अनेक पहलें की गईं। जहां भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नए भवन का निर्माण करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर संसद भवन

की बाहरी दीवारों पर आकर्षक प्रकाश व्यवस्था (फसाड लाइटिंग) करके मौजूदा परिसरों को एक नया रूप दिया गया है।

इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलों में माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए एक सूचना एवं संचार केन्द्र की स्थापना किया जाना, प्रस्तावित विधानों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करने हेतु सत्रों का आयोजन किया जाना, सदस्यों द्वारा कोविड -19 महामारी के सम्बन्ध में किए जा रहे प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक प्रकोष्ठ की स्थापना किया जाना आदि शामिल है।

इस पत्रिका में माननीय अध्यक्ष द्वारा 17वीं लोक सभा के पहले वर्ष के दौरान की गई विलक्षण पहलों का उल्लेख किया गया है।